Shri Jai Narain Mishra P.G. College, Lko

Department of Law

Subject- Constitutional Law of India

Topic- Cultural and Educational Rights (Art. 29 & 30)

LL.B. 2nd Semester

By - Mahendra kumar Baishya

Assistant Professor (Law)

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनु. 29 और 30)

अनुच्छेद 29 (1) भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है। ऐसा वे अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को अपनी रुचि की संस्थाओं को स्थापित करके ही सुरक्षित रख सकते हैं। यह अधिकार उन्हें अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदान किया गया है जो अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का खंड(2) इस अधिकार को और भी सुदृढ़ बना देता है जिसके अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म एवं भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है। किंतु यह खंड अनुच्छेद 29(2) के अधीन है जिसके अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न किया जाएगा। अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत अधिकार नागरिकों और 'अनागरिकों' दोनों को प्राप्त है किंतु अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है।

अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

1. भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में के निवासी के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
2. राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 29 (2) द्वारा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने का अधिकार व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में है ना कि समुदाय के सदस्य के रूप में। इस अनुच्छेद की पदावली बड़े

विशद अर्थ वाली है और सभी नागरिकों पर लागू होती है चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग के हो या बहुसंख्यक वर्ग के।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य_इस बाद में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 29 के शीर्षक में अल्पसंख्यक वर्ग पद का प्रयोग किया गया है किंतु अनुच्छेद के पाठ में इसका कोई उल्लेख नहीं है और निर्णय दिया किया यह अधिकार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक प्राप्त है।

मुंबई राज्य बनाम मुंबई एजुकेशन सोसाइटी इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को जिसके द्वारा अंग्रेजी न जानने वालों को अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगा दिया था रद्द कर दिया क्योंकि वह केवल **भाषा** के आधार पर स्कूलों में प्रवेश का निषेध करता था जो अनुच्छेद 29 (2) द्वारा वर्जित है।

अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार

1. धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

[1(A)] यदि किसी ऐसी संस्था की संपत्ति अर्जित की जाती है तो उसका उचित तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा ताकि इस अनुच्छेद द्वारा दिया गया अधिकार सार्थक बना रहे।(44 वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया)

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हैं।

अनुच्छेद 30(1) में प्रयोग किए गए **स्थापित** शब्द से अभिप्रेत है अस्तित्व में लाना जबकि संस्था को प्रशासित करने के अधिकार से अभिप्रेत है संस्था के क्रियाकलापों का प्रभावी रूप से प्रबंधन और संचालन करना। अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था का प्रशासन का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब यह साबित हो कि उस संस्था की स्थापना उनके द्वारा की गई है। संस्था की स्थापना उसके प्रबंधन के अधिकार की एक पूर्व वर्ती शर्त है।

अजीज बाशा बनाम भारत संघ इस वाद में यह अभीनिर्धारित किया गया की चूँकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अतः उन्हें इसका प्रबंध करने का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के अधीन की गई है।

ई एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नीति लागू करना अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन है।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि राज्य और विश्वविद्यालयों को धार्मिक और शैक्षणिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाई जा रही गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नीति के मामले में विनियमन करने का अधिकार नहीं है।

पि ए इमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर सहायता प्राप्त व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में राज्य द्वारा कोटा विहित करना उनकी उसकी स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण है। राज्य द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में सीटों के आरक्षण को अनुच्छेद 30 के अधीन विनीयमात्मक नहीं कहा जा सकता है न ही उसे अनुच्छेद 19 (6) के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन ही कहा जा सकता है।

प्रमाती शैक्षिक एवं सांस्कृतिक न्यास बनाम भारत संघ उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय विद्यालय स्थापित करता है उस पर ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के सदस्यों को लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के आधारित चरित्र को नष्ट कर देगा। बालकों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू किया जाना संविधान के अधिकारातीत है।

<u>अनुच्छेद 29 (1)और अनुच्छेद 30(1) में अंतर</u>

1. अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी वर्ग को जिनमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करती

है। इसके विपरीत अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल ऐसे अल्पसंख्यकों को ही प्रदान किया गया है जो धर्म या भाषा से अल्पसंख्यक हैं।

2. अनुच्छेद 29(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल तीन विषयों से संबंधित है अर्थात भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए जबकि अनुच्छेद 30(1) का संबंध राष्ट्र के अल्पसंख्यक वर्गों के साथ है जो धर्म या भाषा पर आधारित है।
3. अनुच्छेद 29(1) भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के अधिकार से संबंध में है। जबकि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन के अधिकार के संबंध में है।
4. अनुच्छेद29(1) के अधीन भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण ऐसे माध्यमों से भी हो सकता है जिनका शिक्षा संस्थाओं से भी संबंध न हो और इसी प्रकार अनुच्छेद 30(1) के अधीन किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन ऐसा भी हो सकता है जिसका भाषा, लिपि या संस्कृति से संरक्षण हेतु से कोई भी संबंध ना हो।